

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना- सरायमीर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 24.07.2024 को व0उ0नि0 संदीप शर्मा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पंचायत इण्टर कालेज के पीछे खानपुर जाने वाली रोड के पास से एक व्यक्ति जुगनू सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर ग्राम पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर को समय करीब 14.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 403/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

बरामदगी –

(1)- 01 अदद तमंचा .315 बोर

2) 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त- जुगनू सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर ग्राम पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 403/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 105/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

2-मु0अ0स0 168/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

3- मु0अ0स0 91/22 धारा 411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

4-मु0अ0स0 184/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

5-मु0अ0स0 32/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

6. मु0अ0स0 189/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1- व0उ0नि0 संदीप शर्मा मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

2- उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 15.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 10.03.2024 को वादिनी का नाबालिग पुत्र कही चला गया है प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 67/24 धारा- 363 भादवि पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान वादिनी की वादिनी के नाबालिग पुत्र का शव बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर से दिनांक 17.03.24 को बरामद हुआ था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 364/302/201 भादवि का अपराध होना पाया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 363 भादवि का लोप करते हुए धारा 364/302/201 भादवि की बढोत्तरी की गयी। विवेचना से अभियुक्तगण 1. गुलशन गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता 2. प्रिंस गुप्ता पुत्र लौटू गुप्ता निवासीगण कस्बा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रिंस गुप्ता पुत्र लौटू गुप्ता निवासीगण कस्बा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 24.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. प्रिंस गुप्ता पुत्र लौटू गुप्ता निवासीगण कस्बा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 26 वर्ष को छाता का पुरा अन्डर पास से नियमानुसार समय करीब 09.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रिंस गुप्ता पुत्र लौटू गुप्ता निवासीगण कस्बा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 67/24 धारा- 364/302/201/120B भादवि कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

2. आरक्षी अजय कुमार चौधरी, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

3. आरक्षी सौरभ सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

4. आरक्षी अवधेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना- कोतवाली
मोटरसाइकिल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी मुकदमा सरयू कुमार पुत्र दूधनाथ ग्राम मतलूबपुर थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 19.6.24 को मेरी मोटर साइकिल नं0 यूपी65डीएक्स1675 ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी से चोरी हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 368/24 धारा 379 भादवि दि. 20.6.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 24.7.24 को उ0नि0 रामकृष्ण सिंह मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र मूलचन्द नि. बेलहिया ढाला थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को समय 8.05 बजे अभियुक्त के घर रौनापार से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अभिषेक कुमार पुत्र मूलचन्द नि. बेलहिया ढाला थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 410/24 धारा 317(2)(4)(5),318(8),336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1 368/24 379 भादवि कोतवाली आजमगढ़

2 410/24 317(2)(4)(5), 318(4), 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस व 3/ 25 शस्त्र अधि. कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 रामकृष्ण सिंह, कां0 विकास सरोज, कां0 अभिषेक सरोज, कां0 विवेक शाह थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 22.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 21.07.2024 को समय करीब- 11.30 बजे रात्री में अभियुक्त अबुजैद पुत्र मो0 गफ्फार निवासी ग्राम बड़सरा आइमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की नाबालीग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया तथा अभियुक्त के भाई द्वारा वादिनी को मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 227/2024 धारा 64, 351(2), 352, 333 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट, पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त अबुजैद पुत्र मो0 गफ्फार निवासी ग्राम बड़सरा आइमा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के विरुद्ध प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 24.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक मय हमराह का0 विनय शंकर मिश्रा व का0 अखिलेश कुमार के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. अबुजैद पुत्र मो0 गफ्फार निवासी ग्राम बड़सरा आइमा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष को पासिपुर पुलिया से नियमानुसार समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अबुजैद पुत्र मो0 गफ्फार निवासी ग्राम बड़सरा आइमा थाना कप्तानगंज आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 227/2024 धारा 64, 351(2), 352, 333 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट,थाना

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

2. आरक्षी अजय कुमार चौधरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

3. आरक्षी सौरभ सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

4. आरक्षी अवधेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर
हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 23.07.24 को वादिनी प्रतिमा चौहान पुत्री हवलदार चौहान निवासी रामपुर बढौना थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ की तहरीरी सूचना कि दो दिन पूर्व अशोक यादव के खेत में गांव का प्रिंस सरोज पुत्र प्रकाश सरोज अपने भाई पीयूष के साथ आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था मेरी छोटी बहन उम्र 8 वर्ष 1आम उठा ली जिसको लेकर उन्होने मेरी बहन को मारा जिसके बारे में उसने घर पर आकर मुझे तथा मम्मी को बताया तब मम्मी ने उक्त घटना के बारे में अन्य भाईयों से नहीं बताया दिनांक 23/07/2024 को मेरा मेरा बड़ा भाई विपिन चौहान ननिहाल से घर आया तथा भीम सरोज के खेत में बकरी चरा रहे प्रिंस सरोज से छोटी बहन के मारने के सम्बन्ध में पूछा फिर मेरे द्वारा खेत पर लाये पानी से बैठकर मुह धोने लगा तभी समय करीब 4.30 शाम को प्रिंस सरोज ने पास आकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई के सिर पिछे अपने हाथ मे लिए डण्डे से जोर- जोर से तीन चार बार मारा मारने से काफी खुन मौके पर निकल आया मेरे द्वारा शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया मेरे चाचा श्री रामहरी चौहान गांव वालो कि सहायता से उसे C.H.C लालगंज ले गये जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद हालत गम्भीर होने के कारण उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी भेज दिये है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/24 धारा 109 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 24.07.24 को उ0नि0 वीरेन्द्र यादव, हे0का0 दयाशंकर यादव, हे0का0 जितेन्द्र अवस्थी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण प्रिंस सरोज पुत्र विजय प्रकाश सरोज निवासी रामपुर बढौना थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को धरनीपुर तिराहे से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- प्रिंस सरोज पुत्र विजय प्रकाश सरोज निवासी रामपुर बढौना थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बरामदगी का विवरण:-

एक अदद घटना मे प्रयुक्त आला जुर्म बास का डण्डा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 273/24 धारा 109 BNS 2023 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 वीरेन्द्र यादव, हे0का0 दयाशंकर यादव, हे0का0 जितेन्द्र अवस्थी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना अहरौला

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 19.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि 01 बाल अपचारी ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जिससे वादिनी गर्भवती हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-339/2024 धारा 376(2)N भादवि व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने का विवरण- आज दिनांक 24.07.2024 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को पकडी चौराहा से समय करीब 11.00 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया (सादे वस्त्र में)। अभिरक्षा में लिये बाल अपचारी को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष अहरौला सुनील कुमार दूबे, हे0का0 सर्वेश यादव, का0 लालजी यादव व म0का0 अंजुली व सादे वस्त्र में का0 परीक्षित दुबे व का0 सौरभ राय थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना अहरौला

किशोरी को भागाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 08.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की लडकी को 01 बाल अपचारी बहला फुसला कर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 147/24 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने का विवरण- आज दिनांक 24.07.2024 को व0उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह (सादे वस्त्र में) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल आपचारी को फुलवरिया तिराहे से समय करीब 09.45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 कुलदीप सिंह, का0 विशाल सोनकर, का0 संजीव कुमार (सादे वस्त्र) में थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना मुबारकपुर
अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.07.2024 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति बगहीड़ाड पर खड़ा है जिसके पास आपत्तिजनक वस्तु है। इस सूचना पर उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा बगहीड़ाड से अभियुक्त अल्लतमस पुत्र नसरुद्दीन ग्राम बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसकी जामा तलाशी के दौरान 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अल्लतमस के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 286/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अल्लतमस पुत्र नसरुद्दीन ग्राम बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 286/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1- 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोरा

आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0- 281/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- 2- मु0अ0सं0- 280/2024 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- 3- मु0अ0सं0- 177/2023 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- 4- मु0अ0सं0- 180/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- 5- मु0अ0सं0- 273/2024 धारा 351(2), 352 भा0न्याय0सं0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- 6- मु0अ0सं0 286/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 धर्मराज यादव, हे0का0 तेजबहादूर यादव, का0 अजय कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

महापुरुष पर आपत्तिजनक टिपणी का वीडियो बनाने वाले 02 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत, दोनो आरोपी हुए गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण: -

दिनांक 24.07.2024 को वादी मुकदमा अतिकुर्रहमान पुत्र गयासुद्दीन सा0 सरायमुबारक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी कृष्णाकान्त यादव पुत्र रामवेलाश यादव सा0 रसुलपुर ब्यौहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व अर्जुन चौधरी पुत्र अमरेश चौधरी सा0 मुश्तफाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके व्हाटसेप के माध्यम से वायरल किया गया, के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 0287/2024 धारा 302 बी0एन0एस0 66 आई0टी0 एक्ट बनाम अभियुक्त 1. कृष्णाकान्त यादव पुत्र रामवेलाश यादव सा0 रसुलपुर ब्यौहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व 2. अर्जुन चौधरी पुत्र अमरेश चौधरी सा0 मुश्तफाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक- 24.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. कृष्णाकान्त यादव पुत्र रामवेलाश यादव सा0 रसुलपुर ब्यौहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व 2. अर्जुन चौधरी पुत्र अमरेश चौधरी सा0 मुश्तफाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 04.30 बजे शाम को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0287/2024 धारा 302 बी0एन0एस0 66 आई0टी0 एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कृष्णाकान्त यादव पुत्र रामवेलाश यादव सा0 रसुलपुर ब्यौहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. अर्जुन चौधरी पुत्र अमरेश चौधरी सा0 मुश्तफाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी की टीम:-

1- प्रभारी निरीक्षक श्रीनिहार नन्दन कुमार, मय हमराह पुलिस बल थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 15 सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कंधरापुर: 02 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 15 सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक-06.06.1994 को वादिनी मुकदमा इन्दुमती पत्नी फूलचन्द नि0 आजमपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1-श्याम अवध पुत्र लोकई यादव, 2- मालती पत्नी श्याम अवध नि0 आजमपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी थी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 64/1994 धारा 323,504,506,325 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 08 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.07.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सों कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त 1-श्याम अवध पुत्र लोकई यादव, 2- मालती पत्नी श्याम अवध नि0 आजमपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 15-15 सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 आरोपी अभियुक्त को 06 माह के कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज: 01 आरोपी अभियुक्त को 06 माह के कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक-16.06.1986 को वादी मुकदमा बद्रीनाथ सिन्हा जिला सहकारी बैंक मैनेजर शाखा महाराजगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी भगवती प्रसाद पुत्र रामदवर यादव नि0 सिसवा बाबू थाना बेलघाट गोरखपुर द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 77/1986 धारा 409 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.07.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सों कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त भगवती प्रसाद पुत्र रामदवर यादव नि0 सिसवा बाबू थाना बेलघाट गोरखपुर को 06 माह के कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना मुबारकपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 23.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त आफताब आलम पुत्र मो0 शमीम निवासी ग्राम शहीद नगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ वादी के घर में घुसकर उसकी पुत्री के दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 285/2024 धारा 64/333 बी0एन0एस0 बनाम आफताब आलम पुत्र मो0 शमीम निवासी ग्राम शहीद नगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 24.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आफताब आलम पुत्र मो0 शमीम निवासी ग्राम शहीद नगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को कस्बा मुबारकपुर रोडवेज से समय करीब 05.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1-आफताब आलम पुत्र मो0 शमीम निवासी ग्राम शहीद नगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- 1-मु0अ0सं0 285/2024 धारा 64/333 बी0एन0एस0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार, का0 मुकेश चौधरी, का0 प्रदीप चन्द्र, का0 प्रवेश चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।